बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–6ए/प्रा0आ0–101/17– 1071   पटना, दिनांकः– 05/5/17

सेवा में,

महालेखाकार

बिहार, पटना।

विषयः राज्य योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा (अत्याधिक गर्मी/सुखाड़) की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था को बनाये रखने हेतु 1675 चापाकलों के निर्माण हेतु 931.80 लाख रू0 (नौ करोड़ इक्कतीस लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) की योजना की स्वीकृति।

आदेशः–राज्य योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा (अत्याधिक गर्मी/सुखाड़) की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था को बनाये रखने हेतु 1675 चापाकलों के निर्माण हेतु 931.80 लाख रू0 (नौ करोड़ इक्कतीस लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. इस योजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में कुछ जगहों पर हो रहे भू–जल स्तर में गिरावट को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था हेतु चापाकलों का निर्माण क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप किया जाना है। चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु आवश्यकतानुसार स्थल का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा एवं मुख्यालय स्तर से दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के अतंर्गत चापाकलों का अधिष्ठापन इंडिया मार्क –II पम्प के साथ किया जाना है।

3. बजट शीर्ष

इस योजना पर होनेवाले व्यय के वहन राज्य के योजना बजट शीर्ष 2245– प्राकृति विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष –01– सूखा, लघु शीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत–उप शीर्ष –0008– अन्य कार्य (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हेतु) विपत्र कोड–36–2245011010008–27– लघु कार्य 0008. 27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा योजना बजट शीर्ष 2245– प्राकृति विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष –01– सूखा, लघु शीर्ष–282– लोक स्वास्थ्य उप शीर्ष –0003– जलापूर्ति हेतु कुँओं आदि की मरम्मति (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हेतु) विपत्र कोड–36–2245012820003– 27– लघु कार्य 0003. 27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

7. वर्ष 2017–18 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं राज्य योजना बजट में इसके लिए प्रावधान है।

8. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–6ए/प्रा0आ0–101/17– 1071 पटना, दिनांक– 05/5/17.

प्रतिलिपिः–

1. अनु0 सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनुलग्नक सहित संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनुलग्नक सहित अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता (यां0)/मुख्य अभियंता (रूपां0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/उप–निदेशक (मू0)/कार्यपालक अभियंता (मो0)/सहायक अभियंता, उप– निदशक (मू0) कोषांग/ डाटा सेन्टर/आई0 टी0 मैनेजर/प्रशाखा–6ए एवं 4 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अनुलग्नक सहित सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोपरि।

(विनय कुमार)
सचिव